न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 159/2025 निर्णय दिनांक 12.05.2026
ऑनलाईन नम्बर 2025/331

भागीरथ पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

—उपस्थितिः—

1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी दावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन करती है कि वादी का खातेदारी खेत खसरा नं. 834/427 व खं नं. 835/395 कुल तादादी 2.4425 हैक्टेयर रोही कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। जिसमें वादी का संपूर्ण हिस्सा निहित है। उपरोक्त खसरा के खातेदारी भूमि की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज है। उक्त खसरान कि भूमि पहले सम्वत् 2054—57 में वादी के पति रूघाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवसी कितासर भाटियान के नाम से थी। वादी के पिता रूघाराम की मृत्यु के पश्चात् जरिये विरासतन नामान्तरण वादी के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तरण करते समय वादी के सही नाम भागीरथ के स्थान पर भागूराम अंकित कर दिया जबकि राजस्व कर्मचारियों व तात्कालिन सरपंच ग्राम को वादी का नाम भागीरथ बताया गया था लेकिन उक्त नामान्तरण में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी का नाम भागूराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान दर्ज कर दिया जबकि वादी का दस्तावेजों के अनुसार वास्तविक नाम भागीरथ है जोकि शुरू से ही शाश्वत चला आ रहा है। वादी का वास्तविक नाम भागीरथ है न कि भागूराम है। वादी अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश की व्यक्ति है। तात्कालिन समय मे जब सरकार द्वारा पहचान पत्र के सम्बंध में अनेक दस्तावेज बनना शुरू हुये तब वादी ने भी सरकारी दस्तावेज बाबत पहचान पत्र समय समय पर बनवाये। वादी के सरकारी दस्तावेज यथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड बने तो उसमें वादी का नाम भागीरथ नाम अंकित हुआ है। जोकि आज तक बदस्तुर चला आ रहा है। यानि वादी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम भागीरथ है न कि भागूराम है। वादी ने जब उपरोक्त खसरान की भूमि की जमांबदी बैंक से केसीसी ऋण ले हेतू लेने के लिए आदि की नकले दिनांक 14.08.2025 को निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई कि वादी के खातेदारी खेत खसरा नं. 834/427 व खं नं. 835/395 वाकेरोही कितासर भाटियान के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से भागूराम पुत्र रूघाराम जाति जाट अंकित कर रखा है जबकि वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही भागीरथ है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम भागूराम जोकि गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में सही रूप से दर्ज करवाकर घोषित करवाने की अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम भागीरथ पुत्र रूघाराम रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत भागूराम अंकित चला आ रहा है। वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में वादी का सही नाम भागीरथ अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तत की जा रही है। वर्णित खेत खसरानं. 834/427 व 835/395 वाकेरोही कितासर भाटियान में भागूराम पुत्र रूघाराम निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर दर्ज है। जिसमें वादी का संपूर्ण हिस्सा निहित है। जिस पर वादी का उक्त हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादी उपरोक्त खसरान की भूमि में अपना सही नाम भागीरथ पुत्र रूघाराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त भूमि में वादी का गलत नाम व पता अंकित होने के कारण वादी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के.सी.सी. बनाने, ट्यूबवेल बनाने, विक्रय, हस्तान्तरण करने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से भी वंचित हो रही है। वादी के खातेदारी खेत के रिकॉर्ड में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है, इस बाबत वादी ने कई बार मौके व दिनांक 19.08.2025 लिखित निवेदन प्रतिवादी संख्या 1 से किया कि वादी का नाम भागीरथ पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भागूराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर अंकित कर दिया है। जबकि मुझ वादी के अन्य तमाम दस्तावेजात में वादी का सही नाम भागीरथ पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके नाम की घोषणा करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादी के नाम की राजस्व रिकार्ड में घोषणा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रतिवादी की इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की पैतृक शुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेतों में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर अपने नाम की घोषणा करवाई जानी आवश्यक हो गई है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेतों में वादी का नाम व पता परिवर्तन होने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादगत खेत रोही मौजा कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्‌जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयवधि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नं. 834/427 व खं. नं. 835/395 कुल तादादी 2.4425 हैक्टेयर वाकेरोही कितासर भाटियान के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भागूराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर अंकित हो रखा है उसके स्थान पर वादी का सही नाम भागीरथ पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर घोषित किया जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी **PW-1** में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 834/427 व 835/395 कुल तादादी 2.4425 हैक्टेयर वाकेरोही कितासर भाटियान के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ''भागूराम'' के स्थान पर ''भागीरथ'' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

भागीरथ पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 159/2025

दावा बाबत खाताः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 12.05.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 834/427 व 835/395 कुल तादादी 2.4425 हैक्टेयर वाकेरोही कितासर भाटियान के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ''भागूराम'' के स्थान पर ''भागीरथ'' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 12 माह 05 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
[illegible]देशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)